जनपद बाराबंकी
दिनांक- 21.08.2024

"Operation Conviction" के तहत चिन्हित अभियोग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा चोरी की घटना से सम्बन्धित अभियुक्तगण को 01 वर्ष 06 माह का कारावास व 500-500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया–

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए **"Operation Conviction"** कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में **थाना फतेहपुर** पर **चोरी** की अपराध की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत **मु0अ0सं0 69/2003 धारा 379/411 भादवि** से सम्बन्धित अभियुक्तगण **1. मकबूल पुत्र जुम्मन** निवासी नाला दक्षिणी थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी, **2. विमलेश कुमार वर्मा** पुत्र हरिनाम वर्मा निवासी गुरसैल थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में **मा0 न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-09 बाराबंकी** द्वारा दोषसिद्ध करते हुए **अभियुक्तगण को 01 वर्ष 06 माह का कारावास व 500-500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया व अभियुक्तगण को धारा **3(1) गैंगस्टर एक्ट** में **दोषमुक्त** किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी । **उपरोक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे महिला सम्बन्धी/जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है।**

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 03.04.2003 को थाना फतेहपुर पर वादी कैलाश पुत्र छेदीलाल निवासी हिदायतपुर थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी द्वारा 1. मकबूल पुत्र जुम्मन निवासी नाला दक्षिणी थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी, 2. विमलेश कुमार वर्मा पुत्र हरिनाम वर्मा निवासी गुरसैल थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी के विरूद्व साइकिल चोरी करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी, उक्त तहरीर के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 69/2003 धारा 379/411 भादवि व 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उ0नि0 श्री देवेन्द्र गंगवार थाना मो0पुर खाला बाराबंकी द्वारा साक्ष्य संकलन कर आरोपीगण को दिनांक 03.04.2003 को गिरफ्तार कर 73 दिवस में आरोप पत्र माननीय न्यायालय दाखिल किया गया।

पुलिस/अभियोजन टीम-

1- श्री रमेश चन्द्र वर्मा ए0डी0जी0सी0 कोर्ट नं0- 09 जनपद बाराबंकी

2- निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव प्रभारी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी

3- हे0का0 अमर बहादुर सिंह मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी

4- म0हे0 का0 प्रतिमा द्विवेदी, म0का0 अंशू द्विवेदी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी

5- का0 आदर्श कुमार मिश्रा, का0 नीरज कनौजिया मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी

6- का0 राहुल कुमार पैरोकार फतेहपुर जनपद बाराबंकी

7- हे0का0 रामकुमार कोर्ट मोहर्रिर कोर्ट नं0- 09 बाराबंकी